

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्रकरण क्र. 476/2009

संस्थित दिनांक-31/8/2009

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड

जिला बालाघाट (म.प्र.) अभियोगी

विरुद्ध

सुकरतीबाई उर्फ सुनीता पति पन्चुलाल मरावी

जाति गोण्ड उम्र 29 वर्ष साकिन राशिमेटा

हाल मुकाम मछुरवा पुलिस चौकी डाबरी

पुलिस थाना लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपी

—:: नि र्ण य ::—

(दिनांक-11/03/2015 को घोषित)

(01) आरोपी-सुकरतीबाई उर्फ सुनीता पर म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम की धारा-8(1-2) का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-25.7.2009 को समय 18.15 बजे, ग्राम राशिमेटा स्कूल के पास थानांतर्गत रूपझर में प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य होकर लोक व्यवस्था व लोक प्रशांति का भय उत्पन्न करने हेतु नक्सली साहित्य रखकर, आम जनसमुदाय को उक्त प्रतिबंधित संगठन में शामिल होने हेतु प्रेरित कर, लोक व्यवस्था में बाधा डालने का प्रयत्न किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र रूपझर के थाना प्रभारी भगतसिंह गठौरिया को दिनांक 25.7.2009 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम राशिमेटा में प्रतिबंधित संगठन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नक्सल दलम मलाजखण्ड की सक्रिय सदस्य सुकरतीबाई उर्फ सुनीता पति पन्चुलाल गोंड गांव प्रतिबंधित संगठन का प्रचार प्रसार करने आ रही है। सूचना पर रोजनामचा सान्हा क्र. 854 दिनांक 25.7.2009 पर दर्ज कर सी.आर.पी.एफ. 123 की ई कम्पनी के कम्पनी

कमांडर के सहयोग में ग्राम हरनाला कुड़की की ओर घेराबंदी करने बताया एवं हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक 641, 500, आरक्षक 279, 1021, 815, महिला आरक्षक 110 के रवाना हुए। पुलिस चौकी सोनगुडडा पहुँचकर हाकफोर्स स्टाफ एवं साक्षीगण को लेकर ग्राम राशिमेटा में दो पार्टी बनाकर घेराबंदी किए तो स्कूल के पास हरे रंग की साड़ी पहने हुए गोद में बच्चा लिए तथा कुछ कागज हाथ में लिए पीठ में बैग लगाए हुए एक महिला को घेराबंदी कर पकड़े। हाथ में लिए कागजों को देखा तो लाल स्याही से छपे पाम्पलेट जिसमें पुलिस दमन का विरोध करो के दो पर्चे जिसमें पीछे बालाघाट भण्डारा संयुक्त डिविजनल कमेटी भा.क.पा. पुपिल्सवार दण्डकारण्य छपा था तथा नक्सली साहित्य, बैनर मिले। जिसकी जप्ती कर पंचनामा तैयार किया एवं महिला का नाम पूछने पर सुकरती उर्फ सुनीता बताई एवं भा.क.पा. माओ नक्सली संगठन का नक्सली साहित्य लेकर नक्सली दल में भर्ती होने एवं सहयोग कर प्रचार प्रसार करना स्वीकार किया। जिस पर थाना रूपझर अपराध क्रमांक 74/09, म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1-2) का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध धारा- 8(1-2) म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा-8(1-2) म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है एवं पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक-25.7.2009 को 18.15 बजे, ग्राम राशिमेटा स्कूल के पास थानांतर्गत रूपझर में प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य होकर लोक व्यवस्था व लोक प्रशांति का भय उत्पन्न करने हेतु नक्सली साहित्य रखकर, आम जनसमुदाय को उक्त प्रतिबंधित संगठन में शामिल होने हेतु प्रेरित कर, लोक व्यवस्था में बाधा डालने

का प्रयत्न किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी भगतसिंह गठौरिया (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 25.7.2009 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि प्रतिबंधित संगठन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नक्शालदलम मलाजखण्ड की सक्रीय महिला सुकरती बाई उर्फ सुनीता निवासी रासीमेटा विगत ढेड वर्ष से मलाजखण्ड दलम में सक्रीय सदस्य के रूप में काम कर रही है। प्रतिबंधित संगठन मा.क.प. के पोस्टर पाम्पलेट नक्शाली साहित्य बेनर इत्यादि आप पास के गांव में नक्शाली दलम में शामिल होने के लिए प्रचार प्रसार करती है तथा अपने गांव आकर महिला पुरुषों की मिटिंग लेकर प्रतिबंधित संगठन में शामिल होने के लिए मिटिंग लेती है, तथा भारत के संविधान के विरुद्ध लोगों को विधि विरुद्ध क्रांति करने के लिए प्रेरित करती है। ग्राम रासीमेटा में प्रतिबंधित संगठन का प्रचार प्रसार करने आने वाली है। सूचना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक-854 दिनांक 25.07.09 में दर्ज किया। संलग्न रोजनामचा जो प्रदर्श पी-5 है। पुलिस चौकी डाबरी में पदस्थ हाकफोर्स को गिरफ्तारी में सहयोग करने के लिए सूचित किया गया, तथा सी.आर.पी.एफ 123 बी.एन./ई./कम्पनी कमांडर को सूचित किया। सूचना पर कार्यवाही हेतु रोजनामचा सान्हा क्र-856 में 13.35 बजे उक्त दिनांक को ही दर्ज कर मय स्टाफ वाहन आर्म्स एम्पुनेशन के रवाना हुआ, जो प्रदर्श पी-6 है। उक्त दिनांक को ही मौके पर रवाना होकर सी.आर.पी.एफ 123 बी.एन./ई./कम्पनी के कम्पनी कमांडर एवं स्टाफ को हर्नाला की ओर घेरा बंदी करने तथा चौकी सोनगुडडा से हाक फोर्स पी.सी. एव स्टाफ को साक्षी छन्नूलाल, उमेदसिंह को हमराह लेकर रासीमेटा पहुंचकर दो पार्टी बनाकर पार्टी नं. 2 हाकफोर्स पी.सी. यशपालसिंह को अपने स्टाफ को ग्राम के दक्षिण दिशा की ओर घेरा बंद करने एवं पार्टी नं.-1 का स्वयं नेतृत्व करते पूर्वी भाग से ग्राम का सर्च करते हुये उक्त महिला की तलाश किया जो गांव के स्कूल के पास हरे रंग की साडी पहने गोद में बच्चा लिये कुछ कागजात हाथ में लिये तथा पीट में बेग टंगाये हुये संदिग्ध रूप से दिखी जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास की जिसे घेराबंदी कर महिला

आरक्षक के द्वारा पकड़ा गया जिसके पास से प्रतिबंधित संगठन के पम्पलेट पुलिस दमन का विरोध के पर्चे, बालाघाट भण्डारा सयुक्त अभियान कमेटी मा.क.प. दंड कारण लिखे हुये पम्पलेट टंटा मुक्त गांव योजना का पर्चा दुर्घटना में सहिद हुये कामरेडों संबंधी दस्तावेज, लाल सलाम लाल स्याही से छपे हुये पर्चे, पीट में टंगे बैग से लाल रंग के कपड़े में सफेट पेंट से पी.एल.जी.ए का सातवा वर्ष गांठ मनाओं का बेनर, तथा पुस्तके जिसमें जंग की प्रचार लिखा है। इसके अवाला अन्य दस्तावेज प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबंधित मिले जो अपराध धारा-8(1-2) म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम 2000 का उल्लंघन/दंडनीय पाये जाने से आरोपी सुकरतीबाई उर्फ सुनीता के कब्जे से उक्त दस्तावेज एवं बेनर आदि को साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रपी-1 के अनुसार तैयार किया था, जिस पर उसके, आरोपी एवं साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। आरोपी को महिला आरक्षक के हमराह अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। थाना आकर उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा क्रमांक-863 के 20.45/दिनांक-25.07.09 में दर्ज की गई है, जो संलग्न रोजनामचा प्रपी-7 है। थाना में अप.क्र.74/09 धारा- 8(1-2) म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम 2000 के तहत आरोपी सुकरतीबाई उर्फ सुनीता निवासी रासी मेटा हाल झकुरदा के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था, जो प्रदर्श पी-8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी छन्नूलाल, उमेदसिंह, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी सुकरतीबाई गोड को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। जिस पर मेरे, आरोपी एवं साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी की सूचना वारिसानों को दिया था जिस पर उसके, सूचना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं। आरोपी की गिरफ्तारी का आर.एम. वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मामले की विवेचना हेतु श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय को अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा था जो प्रदर्श पी-9 है। पुलिस अधिक्षक का पत्र प्रदर्श पी-10 प्राप्त हुआ था। दिनांक-24.08.09 को साक्षी आरक्षक हुकुम उयके, प्रधान आरक्षक इंजनसिंह, एवं दिनांक 31.08.09 को साक्षी सोनेलाल, फागूलाल, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। मामले में विवेचना दौरान म.प्र. शासन गृह विभाग का

विशेष सुरक्षा अधिनियम की अवधि के संबंध में दस्तावेज संलग्न किया है। अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय को पत्र लिखकर अनुमति प्राप्त किया था जिसके प्रति संलग्न है जो प्रदर्श पी-11 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। चालान प्रस्तुत करने की अनुमति पुलिस अधिक्षक से प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी-12 है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालानी कार्यवाही किया।

(07) अभियोजन साक्षी इंजनसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि वह दिनांक 25.7.2009 को थाना प्रभारी के साथ सोनगुडडा राशिमेटा जाकर गवाह छन्नुलाल एवं उमेद गोंड मिले और प्रभारी ने घेराबंदी किये तो ग्राम राशिमेटा में स्कूल के पास एक संदिग्ध महिला मिली तो उसके पास एक बैग मिला और एक बच्चा देखा तो उसने उन्हें देखकर छुपने एवं भागने लगी तो उन्होंने घेराबंदी कर पकड़े तो उसने अपना नाम सुकरतीबाई बताई तथा उसके बैग में कुछ नक्सली कागजात मिले। प्रभारी कुछ कागजात निकाले जिसमें मा.क.प. लिखा हुआ था। उसके बैग से एक लाल रंग का बेनर तथा अन्य सामग्री मिले। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी हुकुमचंद उयके (अ.सा. 4) का कहना है कि दिनांक 25.7.2009 को टी.आई. एवं हमराह स्टाप के साथ सोनगुडडा गये एवं वहां से राशिमेटा जा रहे थे तो रास्ते में छन्नु गोंड एवं उम्मेद गोंड मिले जिन्हें साथ लेकर राशिमेटा गये। राशिमेटा के पहाड़ के पास एक महिला बच्चे के साथ मिली और देखने में संदिग्ध लग रही थी। जिसे टी.आई. साहब द्वारा नाम पता पूछने पर अपना नाम सुकरती उर्फ सुनीता बताई। जिसके पास से एक थैला मिला जिसमें चेक करने पर कुछ नक्सली संबंधी साहित्य, बैनर एवं पोस्ट मिले। जिसे टी.आई. ने जप्त किया था। सुकरतीबाई को गिरफ्तार कर थाना रूपझर में लाये थे।

(08) किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत जप्ती एवं गिरफ्तारी के स्वतंत्र अभियोजन साक्षी छन्नुलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता नहीं है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसके सामने पुलिस ने कोई जप्ती नहीं किया था किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को उसका बयान प्रदर्श

डी-1 पढकर सुनाये जाने पर ऐसा बयान देने से इंकार किया। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी ने उसके सामने दो पर्चे पाम्पलेट एवं अन्य सामग्रियां जप्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इससे स्पष्ट इंकार किया है।

(09) इसी प्रकार जप्ती एवं गिरफ्तारी के स्वतंत्र अभियोजन साक्षी फागुलाल (अ.सा. 2) का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने थाना प्रभारी रूपझर के साथ ग्राम राशिमेटा गया, ग्राम राशिमेटा में स्कूल के पास आरोपी सुकरतीबाई गोद में बच्चा लिये हाथ में कागज लिये पीठ में बेग लिये मिली, पुलिस को देखकर भागी तो पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, सुकरतीबाई के हाथ में लाल स्याही से छपे पाम्पलेट जिसमें पुलिस दमन का विरोध करने के पर्चे थे मिली, आरोपी से नक्सली साहित्य जप्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इससे स्पष्ट इंकार किया है।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वे निर्दोष है। पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस अधिकारी प्रकरण को बनाये रखने हेतु असत्य कथन किये हैं, जिसका प्रतिपरीक्षण में भी खंडन हुआ है। जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(12) अभियोजन साक्षी भगतसिंह गठौरिया (अ.सा. 5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में स्वीकार किया है कि आरोपी जिस स्थान पर मिली वह गांव के पास है। जिस स्थान पर आरोपी मिली थी उस स्थान से लोगों का आना-जाना होता है, साक्षियों को नोटिस देकर तलब नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी से सम्पत्ति जप्त करने के पूर्व अपनी एवं अपने स्टाफ के तलाशी नहीं दिये और ना ही

तलाशी करवाये।

(13) हुकुमचंद उयके (अ.सा. 4) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर आरोपी मिली वह गांव से बहुत दूर थी। जप्ती के पूर्व अपनी तलाशी किसी को नहीं दिया था। छन्नु गोंड, उमेद गोंड एवं टी.आई. के जेब में कौन कौन से दस्तावेज थे, नहीं मालूम। बेनर, पोस्टर सभी जगह बनाई या छपाई जा सकती है।

(14) छन्नुलाल (अ.सा. 1) ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक और गिरफ्तारी पत्रक में उसके द्वारा किये गये हस्ताक्षर के समय उमेदसिंह और सुकरतीबाई उपस्थित नहीं थे। पुलिस ने किस कागज पर हस्ताक्षर करवाये पढ़कर नहीं बताये और उसने भी पढ़कर नहीं देखा। पुलिसवाले उसे रास्ते में मिले और उनके कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिया था। पुलिसवालों ने उसके नाम से कौन-कौन से कागज तैयार किये उसे इस बात की जानकारी नहीं है।

(15) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता भगतसिंह गठौरिया एवं हमराह आरक्षक हुकुमचंद उयके एवं प्रधान आरक्षक इंजनसिंह के मुख्य परीक्षण का प्रतिपरीक्षण में खंडन होने से एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र छन्नुलाल, (अ.सा. 1), फागुलाल (अ. सा. 2) ने अभियोजन का आंशिक समर्थन भी नहीं किया गया है। जिससे आरोपी ने राशिमेटा स्कूल के पास थानांतर्गत रूपझर में प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य होकर लोक व्यवस्था व लोक प्रशांति का भय उत्पन्न करने हेतु नक्सली साहित्य रखकर, आम जनसमुदाय को उक्त प्रतिबंधित संगठन में शामिल होने हेतु प्रेरित कर, लोक व्यवस्था में बाधा डालने का प्रयत्न किया, यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने राशिमेटा स्कूल के पास थानांतर्गत रूपझर में प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य होकर लोक व्यवस्था व लोक प्रशांति का भय उत्पन्न करने हेतु नक्सली साहित्य रखकर, आम जनसमुदाय को उक्त प्रतिबंधित संगठन में शामिल होने हेतु प्रेरित कर,

लोक व्यवस्था में बाधा डालने का प्रयत्न किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है।
अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(17) परिणाम स्वरूप आरोपी—सुकरतीबाई उर्फ सुनीता को म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम की धारा-8(1-2) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(18) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(19) प्रकरण में प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)